बिहार सरकार
शिक्षा विभाग

प्रेस नोट

विषय :–''बिहार राज्य विद्यालय अध्यापक (नियुक्ति, स्थानान्तरण, अनुशासनिक कार्रवाई एवं सेवाशर्त) नियमावली, 2023'' की स्वीकृति के संबंध में।

राज्य में प्रारंभिक एवं माध्यमिक शिक्षा के प्रभावी प्रबंधन और शिक्षा में गुणवत्ता सुधार के लिए विद्यालय स्तर पर प्रभावी हस्तक्षेप की आवश्यकता है। इन उद्देश्यों की पूर्ति हेतु शिक्षा विभाग, बिहार सरकार के नियंत्रणाधीन विद्यालय अध्यापक के नये संवर्गों का गठन किया गया है, जिनकी नियुक्ति सीधे राज्य सरकार के द्वारा आयोग के माध्यम से प्रतियोगिता परीक्षा के आधार पर की जायेगी। अब विद्यालय अध्यापक का संवर्ग राज्य सरकार के नियंत्रणाधीन होगा एवं वे राज्य सरकार के कर्मी होंगे। वर्ष 2006 से अबतक पंचायतीराज संस्था एवं नगर निकायों के अंतर्गत नियुक्त शिक्षक भी इसी नियुक्ति प्रक्रिया में भाग लेकर इस नये संवर्ग में आ सकेंगे।

2. बिहार राज्य विद्यालय अध्यापक (नियुक्ति, स्थानान्तरण, अनुशासनिक कार्रवाई एवं सेवाशर्त) नियमावली, 2023 के महत्वपूर्ण बिन्दु निम्नवत् हैः–

(i) शिक्षा विभाग के नियंत्रणाधीन राजकीय, राजकीय बुनियादी विद्यालय, राजकीयकृत एवं प्रोजेक्ट कन्या उच्च माध्यमिक विद्यालय में नियुक्त होने वाले विद्यालय अध्यापक का स्तरवार एवं विषयवार अलग–अलग संवर्ग होगा। प्राथमिक एवं मध्य विद्यालय के मूल कोटि एवं स्नातक कोटि के विद्यालय अध्यापक तथा माध्यमिक विद्यालय एवं उच्च माध्यमिक विद्यालय में विषयवार विद्यालय अध्यापक का अलग–अलग संवर्ग होगा। ये सभी संवर्ग जिला स्तर के होंगे।

(ii) विद्यालय अध्यापक के सभी पद सीधी नियुक्ति से भरे जाऐंगे। इस हेतु राज्य सरकार द्वारा चिह्नित आयोग के माध्यम से पात्र अभ्यर्थियों का लिखित परीक्षा के माध्यम से चयन कर इसकी अनुशंसा शिक्षा विभाग को की जायेगी। शिक्षा विभाग द्वारा उक्त अनुशंसा को संबंधित जिला के जिला शिक्षा पदाधिकारी, जो इस संवर्ग के विद्यालय अध्यापक के नियुक्ति प्राधिकार होंगे, को नियुक्ति हेतु अग्रसारित कर दिया जायेगा।

(iii) आवेदक को भारत के नागरिक एवं बिहार राज्य का स्थायी निवासी होना आवश्यक है।

(iv) विद्यालय अध्यापक के पद का वेतनादि राज्य सरकार द्वारा निर्धारित किए जायेंगे।

(v) विद्यालय अध्यापक के विभिन्न संवर्गों का पद बल वही होगा जो सरकार द्वारा समय–समय पर निर्धारित किया जायेगा।

(vi) अन्य सेवा शर्तें राज्य सरकार द्वारा निर्धारित की जायेगीं।

(vii) नियुक्ति हेतु अनिवार्य अर्हता होंगी :–

(क) विद्यालय अध्यापक के पद पर नियुक्ति हेतु राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् द्वारा समय–समय पर निर्धारित शैक्षणिक एवं प्रशैक्षणिक योग्यता धारित करता हो। विशेष विद्यालय अध्यापक के लिए अर्हता भारतीय पुनर्वास परिषद् के अनुरूप अनुमान्य होगा।

(ख) राज्य सरकार एवं केन्द्र सरकार द्वारा समय–समय पर आहूत शिक्षक पात्रता परीक्षा में उत्तीर्ण हो।

परन्तु वर्ष 2012 से पूर्व नियुक्त एवं कार्यरत शिक्षक, जो दक्षता परीक्षा उत्तीर्ण होंगे, के लिए शिक्षक पात्रता परीक्षा में उत्तीर्णता अनिवार्य नहीं होगी।

(ग) विषय विशेष के लिए अलग से विशेष अर्हता का निर्धारण विभाग द्वारा समय–समय पर किया जायेगा।

(viii) आरक्षण :–

(क) राज्य सरकार के अधीन सीधी नियुक्ति में सामान्य प्रशासन विभाग के द्वारा लागू आरक्षण का प्रावधान प्रभावी होगा।

परन्तु प्राथमिक एवं मध्य विद्यालय के मूल कोटि एवं स्नातक कोटि के विद्यालय अध्यापक के पद पर प्रत्येक विषय में न्यूनतम 50 प्रतिशत महिला अभ्यर्थियों की नियुक्ति की जायेगी। विषम संख्या रहने पर अंतिम पद महिला अभ्यर्थी के लिए चिह्नित किया जायेगा।

(ख) इस नियमावली के प्रवृत होने के बाद प्रथम समव्यवहार में विद्यालय अध्यापक के पद पर नियुक्ति हेतु आरक्षण बिन्दु 01 से रोस्टर प्रारंभ होगा।

(ix) कोई अभ्यर्थी इस नियमावली के अंतर्गत अधिकतम तीन बार परीक्षा में भाग ले सकेगा।

3. इस नियमावली के अधिसूचित होने की तिथि से पूर्व की नियमावलियों द्वारा नियुक्त बिहार जिला परिषद्/नगर निकाय माध्यमिक/उच्च माध्यमिक विद्यालयों के शिक्षक एवं बिहार पंचायत/नगर निकाय प्रारंभिक विद्यालय के शिक्षकों का संवर्ग यथावत् रहेगा।

4. नगर निकाय संस्था एवं पंचायतीराज संस्था अन्तर्गत शिक्षकों के नियुक्ति से संबंधित नियमावली जो वर्ष 2006 से वर्ष 2020 की अवधि में अधिसूचित हुई, में निहित प्रावधान के तहत इस नियमावली के प्रभावी होने की तिथि के उपरांत, कोई नई नियुक्ति नहीं की जा सकेगी।

10/4/2021

(दीपक कुमार सिंह)
अपर मुख्य सचिव,
शिक्षा विभाग।